

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०सं०-८डी०(बजट-आवंटन-२२२५)-१२-१५/२०१७-

शुद्धि-पत्र

१२
२१/११/२०१७

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत आवंटनादेश संख्या-४२ दिनांक १२.०७.२०१७ के कंडिका-२ में ०००१.११०२ यात्रा व्यय के स्थान पर ०००१.११०१-यात्रा व्यय पढा जाय ।

२- इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय एवं शेष यथावत रहेगा ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक

ज्ञापांक- स०८डी०(बजट-आवंटन-२२२५)-१२-१५/२०१७ - १२ पटना, दिनांक २१/११/२०१७
प्रतिलिपि : (१) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
(२) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
(३) संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त, / संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी / सचिव के प्रधान आप्त सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / उप निदेशक, कल्याण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (मुख्यालय) / बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक

ज्ञापांक- स०८डी०(बजट-आवंटन-२२२५)-१२-१५/२०१७ - १२ पटना, दिनांक २१/११/२०१७

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक

५५